e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सoसंo:– 17–विoसर्वेo साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142 / 2020....1462

प्रेषक,

जय सिंह, भाoप्रoसेo
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / अरवल /
किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णिया /
सीतामढ़ी / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा /
पo चम्पारण / बांका / जमुई / शेखपुरा / मुंगेर / नालंदा।
समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी
शिवहर / बांका

पटना, दिनांक :– 16/4/2021

विषय :– दिनांक– 15.04.2021 को जूम के माध्यम से अररिया एवं लखीसराय जिले के विशेष सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा पश्चात् उत्पन्न स्थिति के कारण अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि–

1. अपने जिले के सभी मौजों से संबंधित सभी विशेष सर्वेक्षण डिजिटल नक्शा कई जिलों को अभी भी हवाई एजेंसी द्वारा आपूरित नहीं किए जाने के संबंध में सूचना दी जा रही है। निदेश है कि अपने जिले में इसकी समीक्षा कर स्पष्ट हो ले कि सभी विशेष सर्वेक्षण नक्शा हवाई एजेंसी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है अथवा नहीं। जिन मौजों का विशेष सर्वेक्षण नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसे हवाई एजेंसी से अविलंब प्राप्त कर लिया जाय। एक सप्ताह के अन्दर यह कार्य संपन्न कर लिया जाना है।
2. संबंधित हवाई एजेंसी को जिन जिलों में विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हुआ उसके प्रत्येक मौजे के लिए एकरारनामा अनुसार एक ईoटीoएसo मशीन एवं दो कर्मी उपलब्ध कराना है। जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार हवाई एजेंसी द्वारा एक या दो ईoटीoएसo मशीन पूरे जिले के लिए उपलब्ध कराया गया है। निदेश है कि अविलंब प्रति शिविर दो–दो ईoटीoएसo मशीन, दो प्रिज्म एवं दो कर्मी हवाई एजेंसी को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाए और यदि उनके द्वारा निदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।
3. अमीनों के स्तर से कार्य किये जाने के संबंध में जिला स्तर पर कार्य–योजना तैयार कर कार्य हो रहा हो ऐसा समीक्षा के दौरान स्पष्ट नहीं हुआ। निदेश है कि प्रत्येक अमीन जो मौजों के प्रभार में है उनके लिए कार्य–योजना तैयार कर सोमवार तक निदेशालय में संसूचित किया जाय।
4. जिन राजस्व मौजों का त्रि–सीमाना निर्धारित कर दिया है, उनका ग्राम–सीमा सत्यापन अगले एक सप्ताह में संपन्न कर एमoआईoएसo के माध्यम से संसूचित किया जाए।
5. जिन मौजों का त्रि–सीमाना निर्धारण एवं सीमा सत्यापन का कार्य कर लिया गया है, उन मौजों में किस्तवार एवं खानापुरी का कार्य प्रारंभ करते हुए इसे अविलंब संपन्न किया जाय एवं प्रति सप्ताह एमoआईoएसo के माध्यम से कार्य की प्रगति संसूचित की जाय।
6. दिनांक– 15.04.2021 के समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिलों के एमoआईoएसo प्रतिवेदन के सांख्यिकी में त्रुटि है, जो कि कर्मियों द्वारा एमoआईoएसo प्रतिवेदन अंकित करते समय के भूल परिणाम है। निदेश है कि शनिवार तक ऐसे सांख्यिकी भूलों को सुधार कर लिया जाय।

7. मौजावार हवाई एजेंसी के द्वारा कर्मी एवं ई0टी0एस0 मशीन जो उपलब्ध कराये गये है, के आधार पर आगामी एक माह का रोस्टर कैंलेडर इस प्रकार तैयार किया जाय कि सभी मौजा का कार्य नियमावली अनुसार ससमय हो सके।
8. जिन विशेष सर्वेक्षण अमीनों/अमीनों के द्वारा कर्त्तव्य पालन में कोताही की जा रही है, ऐसे अमीनों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव सोमवार तक निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
9. निदेशालय स्तर से प्रत्येक सप्ताह शिविर स्तरीय समीक्षात्मक बैठक प्रत्येक मंगलवार को अपराह्न 2:00 बजे होगा, अतः सभी कैंप के प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया जाये कि वे इस संबंध में प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेंगे।
10. निदेशालय स्तर से प्रत्येक दिन किसी एक जिले का जूम के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की जाएगी, अतः बैठक के समय अद्यतन प्रतिवेदन के साथ सुनिश्चित किया जाय।
11. अगले सप्ताह से जिलों के नोडल सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी जिलों का भ्रमण करेंगे एवं समीक्षा करेंगे। निदेश है कि भ्रमण से पूर्व सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कर लें।
12. यह भी समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि हवाई एजेंसी द्वारा ग्राम–सीमा सत्यापन पश्चात् अथवा किस्तवार के पश्चात् जो नक्शा उन्हें सुधार के लिए उपलब्ध कराया जाता है वह ससमय सुधार कर वापस नहीं किया जाता है। निदेश है कि ऐसे मामलों की समीक्षा कर निदेशालय को अवगत कराया जाय ताकि यदि माह के 26.04.2021 तक सभी नक्शे जो सुधार कर वापस किये जाने थे वह वापस नहीं किये जाते है तो हवाई एजेंसी के भुगतान में कार्य दिवस के क्षति अनुरूप कटौती की जा सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक– 15.04.2021 को दो जिलों के समीक्षात्मक बैठक पश्चात् निम्न बिन्दु भी प्रकाश में आये, जिनके संबंध में उल्लेखित करना है कि:–

(क) कई जिलों में अभी भी प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) अभी तक सॉफ्टवेयर में इंट्री करने कार्य पूर्ण नहीं किया है। निदेश है कि खतियान की उपलब्धता कि स्थिति में इस कार्य को अविलंब संपन्न किया जाय और जिन मौजों का खतियान उपलब्ध नहीं है, उसका प्रमाण–पत्र अभिलेखागार एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त कर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय ताकि इस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

(ख) कतिपय जिलों में अभी प्रपत्र–2 एवं 3 में प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि नियमावली के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही कई जिलों में प्रपत्र–2 एवं 3 जो प्राप्त हुए है, उसे सॉफ्टवेयर में अपलोड होने के कार्रवाई अभी तक संपन्न नहीं हुआ जो, खेद का विषय है।

(ग) अररिया जिले के समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि जिला अभिलेखागार में और अंचल में उपलब्ध एक ही मौजों के खतियान में एक ही खाते में भिन्नता है। निदेश है कि इस संबंध में सभी जिले समीक्षा कर ले कि इस प्रकार कोई स्थिति उनके जिले में अथवा नहीं। साथ ही बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया इस मामले में अपने स्तर से जाँच कर समन्यक प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराये ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Director\file no_ 142_2020_16.04.2021.doc

ज्ञापांकः 17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142/2020 1462 पटना, दिनांक : 16/4/2021

प्रतिलिपिः– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0, आई0एल0एण्डएफ0एस0, जी0आई0एस0 कंसोर्टियम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142/2020 1462 पटना, दिनांक :– 16/4/2021

प्रतिलिपिः– निदेशालय स्तर से जिलों के लिए प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी–सह–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142/2020 1462 पटना, दिनांक :– 16/4/2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142/2020 1462 पटना, दिनांक :– 16/4/2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
16/4/21